

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1206]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/ VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ.1781(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों की विद्युत आपूर्ति आरंभ होने के स्थान पर (कनेक्टेड लोड को ध्यान में रखे बिना) 11 के.वी. से अधिक सप्लाय वोल्टेज वाले सभी संस्थापनों का निरीक्षण वैद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 23/23(iii)/2014-आर एंड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

S.O.1781(E). - In exercise of the powers conferred by regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of voltage of supply exceeding 11 kV at the point of commencement of supply (irrespective of the connected load) of multi-storeyed building of more than fifteen metre in height, shall be inspected by the Electrical Inspector.

[F. No. 23/23(iii)/2014-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.